क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना–800001.
फोन नं0–0612–2522362, फैक्स नं0–0612–2533314, ई–मेल – rd-bihar@esic.in

सुविधा समागम की बैठक का कार्यवृत्त

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में सुविधा समागम का आयोजन दिनांक **09.05.2018** को अपराह्न **3.00** बजे क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन स्थित सभा–कक्ष में संपन्न हुआ, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण/अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

क्र0	नाम एवं पदनाम	
1.	श्री अरविन्द कुमार, अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ0 सियाराम शर्मा, माननीय सदस्य, क्षेत्रीय परिषद् एवं कर्मचारी प्रतिनिधि	सदस्य
3.	डॉ0 अविनाश कुमार, राज्य चिकित्सा अधिकारी	सह सदस्य
4.	डॉ0 संतोष कुमार, चिकित्सा निर्देशी	सह सदस्य
5.	डॉ0 मुकेश कुमार मोदी, चिकित्सा सतर्कता अधिकारी	सह सदस्य
6.	श्री जयंत कुमार, सहायक निदेशक (हितलाभ)	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यगण, आमंत्रितों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् इस बैठक में उपस्थित बीमित व्यक्तियों की शिकायतों पर एक–एक करके निम्नानुसार विचार/निर्णय किया गया :–

क्र. सं.	बीमित व्यक्ति का नाम, बीमांक व मोबाइल नंबर	संबंधित औषधालय /अस्पताल/कार्यालय	शिकायत/सुझाव	संबंधित कार्यालय/शाखा एवं निदान	अनुपालन संबंधित कार्यालय / शाखा
1	2	3	4	5	6

1	श्री हरेन्द्र कुमार, बीमा सं0 – 4201388101 मोबाइल नं0– 9135292991	बिहटा	बीमित व्यक्ति श्री हरेन्द्र कुमार जी ने बताया कि उनका दो बिल दीघा डिसपेंसरी में जमा किया गया था, जिसके वहां खो जाने पर इन्होंने जीरोक्स कॉपी जमा किया था और उसे डिस्पेंसरी द्वारा चेक करके क्षेत्रीय कार्यालय में भेज दिया गया था। परंतु उसे राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा प्रतिलिपि होने के कारण वापस कर दिया गया।	सुविधा समागम में चर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ कि बीमित व्यक्ति इस आशय का नोटराइज शपथ–पत्र देकर बिल के साथ डिस्पेंसरी में जमा करेंगे, जिसपर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।	बीमित व्यक्ति
2	श्री कांत सिंह बीमा सं0 – 4215109868 मोबाइल नं0– 8252030845	जमालरोड	शिकायतकर्ता श्री कांत सिंह जी ने बताया कि उनके लिए आई वी एफ की व्यवस्था पिछले कई महीने से आश्वासन देने के बाद भी नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन–चार महीने से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि एक सप्ताह में टाई–अप हो जाएगा, परंतु काम नहीं हो रहा है।	सुविधा समागम में इसपर क्षेत्रीय निदेशक ने उनसे व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगते हुए उन्हें बताया कि कुछ अधिकारियों ने उनके बार–बार कहने के बावजूद इस कार्य में विलंब किया और इसके लिए कमिटी बनायी जा चुकी है और दस दिनों के अंदर निरीक्षण की कार्रवाई कर ली जाएगी और यदि आवेदक चिकित्सा संस्थान उपयुक्त पाए जाते हैं तो टाई–अप की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।	चिकित्सा शाखा
3.	श्री मुकेश सिंह बीमा सं0 – 4201438713 मोबाइल नं0– 8651701307	फुलवारीशरीफ	बीमित व्यक्ति के पिताजी श्री रामपुकार सिंह जी ने बताया कि बीमित व्यक्ति की माताजी का इलाज आई.जी.आई.एम.एस., पटना में हुआ था, जिसके लिए उन्हें अग्रिम दी गयी थी, परंतु बीमारी बढ़ने के कारण सारी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ी, जिसका बिल ई.एस.आई.अस्पताल एवं डिस्पेंसरी, फुलवारीशरीफ में फरवरी, 2018 में जमा किया है और भुगतान अप्राप्त है।	सुविधा समागम में चर्चा के बाद उन्हें बताया गया कि महानिदेशक महोदय के हस्तक्षेप व निर्देशन के बाद वहां बीमित व्यक्तियों के बिलों की जांच शुरू हो गयी है। अतः जैसे ही उनका बिल वहां से जांचोपरान्त प्राप्त होता है, उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा।	चिकित्सा शाखा
4.	श्री ओम प्रकाश पाठक बीमा सं0 – 4215246804 मोबाइल नं0– 8579892181	श्रीकृष्णानगर	बीमित व्यक्ति श्री ओम प्रकाश पाठक ने कहा कि उनकी पत्नी का इलाज आई वी एफ के लिए आई.जी.आई.एम.एस., पटना में चल रहा था, परंतु पैसे की कमी के कारण वे इलाज जारी नहीं रख पाए। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी बाइक से गिर गयी, जिसके कारण उनके माथे में चोट लगी। राज्य चिकित्सा अधिकारी ने उनके इलाज संबंधी सभी कागजात देखकर बताया	सुविधा समागम में परिचर्चा के उपरान्त उन्हें स्पष्ट किया गया कि आई वी एफ के लिए टाई अप हेतु चिकित्सीय कमिटी का गठन हो चुका है और आवेदक अस्पतालों का शीघ्र ही भिजिट किया जाना है तथा उम्मीद है कि 10 दिनों के अंदर टाई अप की कागजात /एकरारनामा पर हस्ताक्षर हो जाएगा और वे वहां इलाज करा सकेंगे। उनकी पत्नी के माथे में चोट के बारे में राज्य चिकत्सा अधिकारी ने सलाह दिया कि वे आई.जी.आई.एम.एस. में न्यूरो विभाग में दिखाएं, जहां से दवा	चिकित्सा शाखा

			कि सी.टी.स्कैन इत्यादि रिपोर्ट देखने से किसी गंभीर चोट की जानकारी नहीं मिली।	एवं उपचार कराएं एवं उसपर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा दाखिल करें।	
5.	श्री कुमार गौतम बीमा सं0 – 4215595334 मोबाइल नं0– 9162228121	बिहटा	बीमित व्यक्ति श्री कुमार गौतम ने बताया कि उनकी पत्नी की डिलीवरी का बिल शाखा प्रबंधक, आरा के पास जमा किया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इनकी दूसरी शिकायत यह थी कि आरा का टाई अप हॉस्पिटल बी0 एन0 मेमोरियल अस्पताल में इनकी हार्नियां का इलाज तथा ऑपरेशन किया गया, जहां उनसे ऑपरेशन करने तथा कुछ दवाइयां आदि के पैसे ले लिये गये।	सुविधा समागम में चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि शाखा प्रबंधक बिल की जांच–पड़ताल कर क्षेत्रीय कार्यालय में भुगतान हेतु शीघ्र भेजें। सुविधा समागम में परिचर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ कि चिकित्सा सतर्कता अधिकारी इसकी जांच करें और इसपर अपना प्रतिवेदन देंगे ताकि प्रकरण में समुचित कार्रवाई की जा सके।	चिकित्सा सतर्कता अधिकारी
6.	स्व0 जगन्नाथ भगत बीमा सं0 – 4201172470 मोबाइल नं0– 9931835070	दीघा	बीमित व्यक्ति स्व0 जगन्नाथ भगत के पुत्र श्री आदित्य राज सिंह ने बताया कि अपने पिता का इलाज से संबंधित बिल दीघा डिस्पेंसरी में सुविधा समागम में आने बाद दिनांक 17/08/2017 को जमा किये थे, परंतु अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। पूछे जाने पर इन्हें दीघा डिस्पेंसरी द्वारा कुछ भी सही नहीं बताया जा रहा है।	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद निर्णय हुआ कि निदेशक, चिकित्सा सेवाएं इस संदर्भ में अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करें और इनके बिल को प्रक्रियानुसार जांच करवाकर भिजवाएं ताकि इनका भुगतान किया जा सके।	निदेशक, चिकित्सा सेवाएं का कार्यालय
7.	श्री विकास कुमार बीमा सं0 – 4201443737 मोबाइल नं0– 8271063708	कंकड़बाग	बीमित व्यक्ति श्री विकास कुमार की पत्नी ने बताया कि उनका इलाज ई. एस.आई.मॉडल अस्पताल, फुलवारीशरीफ में हो रहा था, जहां से ठीक नहीं होने पर उन्हें महावीर आरोग्य संस्थान भेजा गया, जहां उन्हें इलाज देने से मना कर दिया गया। पुनः उन्हें महावीर अस्पताल से पी0 एम0 सी0 एच0, पटना रेफर कर दिया गया, परंतु वहां इमरजेंसी केस बोलकर इलाज नहीं किया। अंततः मजबूरी में आकस्मिकता के कारण इन्होंने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया, जिसपर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति चाहते हैं।	सुविधा समागम में परिचर्चा के बाद यह निर्णय हुआ कि ये अपने खर्च की प्रतिपूर्ति का फॉर्म भरकर संबंधित डिस्पेंसरी में जमा करेंगे, जहां से उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर कार्रवाई की जाएगी।	बीमित व्यक्ति
8.	श्री दिनेश कुमार शर्मा बीमा सं0 – 4200066182	मुंगेर	बीमित व्यक्ति श्री दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनके दो बिल जमा थे, जिनमें से एक बिल का पैसा मिल गया है और दूसरे बिल का पैसा बाकी है। दिनांक 29/03/17	सुविधा समागम में चर्चा के उपरान्त उन्हें सलाह दी गयी कि उनका बिल खोजा जाएगा। बिल नहीं मिलने पर प्रतिपूर्ति हेतु अगली कार्रवाई की जाएगी।	चिकित्सा शाखा

	मोबाइल नं0– 9534586951		को 7019/–रुपये का भुगतान प्राप्त हो गया है, जबकि 21,564/– रुपये का भुगतान नहीं मिल पाया है।		

अंत में, अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों, अधिकारियों एवं उपस्थित बीमित व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(जयंत कुमार)
सहायक निदेशक (हितलाभ) सह
सदस्य सचिव, सुविधा समागम

<u>प्रति</u> :

1. श्री हरेन्द्र कुमार, मेसर्स कुस कोबरा प्रा0 लि0, बिहटा, सिकंदरपुर।
2. श्री कान्त सिंह, एस0 बी0 आई0 ए0 टी0 एम0, भोला पैलेस, सिपारा, पटना–800020.
3. श्री मुकेश सिंह, भोल्टास, पटनासिटी, ग्राम + पोस्ट – फतेहपुर, थाना – दीदारगंज, जिला – पटना.
4. श्री ओमप्रकाश पाठक, ग्राम – कमरजी, पोस्ट – फतेहपुर, भाया– गुलजारबाग, पटना–800007.
5. श्री कुमार गौतम, द्वारा–ओम प्रकाश, जेल रोड, मोहल्ला–सतघरवा, आरा–802301.
6. स्व0 जगन्नाथ भगत, श्री आदित्या राज, नासरीगंज, बिस्कुट फैक्टरी, पटना–800012
7. श्री विकास कुमार, पुरानी अरविन्द महिला कॉलेज, कदमकुआं बगीचा, पटना–800003.
8. श्री दिनेश कुमार शर्मा, मोगल बाजार, मुंगेर, धर्मनारायण रोड, पोस्ट–वासुदेवपुर, जिला–मुंगेर, पिन–811202.